राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 8(13)(8)ग्रावि/अनु–8/एसपीएमआरएम/फेज–2/2016 जयपुर, दिनांक 5/4/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
प्रतापगढ, बांसवाडा, जयपुर, अलवर, बीकानेर व जालौर।

विषयः– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूर्बन मिशन) योजना के द्वितीय फेज की **सीजीएफ की प्रथम किश्त** की **राज्य निधि** की राशि रू. 1620 लाख संबंधित जिलों के पी.डी. खातों में हस्तांतरण की पुष्टि बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय की स्वीकृति संख्या 10029/2018–19 दिनांक 14.03.2019 में आपके कार्यालय के पीडी खाते का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग ने स्वीकृति संख्या **10071/2018–19 दिनांक 27.03.2019** के द्वारा "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूर्बन मिशन) योजना" के **द्वितीय फेज** के तहत चयनित राज्य के 6 क्लस्टर्स के लिए **सीजीएफ** (Critical Gap Funding) की **प्रथम किश्त** की राज्य निधि की राशि रूपये 1620 लाख (शब्दों में राशि रूपये सोलह करोड़ बीस लाख मात्र) को आपके जिलों को हस्तान्तरित करने हेतु सम्बन्धित कोषालयों को लिखा है। कृपया **लोकसभा चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराते हुए आपके कार्यालय के पीडी खाते में आपके जिले के कोषालय के द्वारा जारी किये गये राशि हस्तान्तरण आदेश की प्रति इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करायें।**

केन्द्रीयांश हेतु वित्त (व्यय–5) विभाग की आईडी संख्या 331800480 दिनांक 27.06.2018, वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग की स्वीकृति संख्या 10001/2018–19 दिनांक 13.07.2018 तथा विधान सभा चुनाव आचार संहिता के बाद कोषालय, सचिवालय, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक कोष/सचि. /पी.डी./2018–19/ 3768–72 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा केन्द्रीयांश की राशि रू. 2430 लाख को इस विभाग के मुख्यालय के पीडी खाता संख्या 5806 से संबंधित 6 जिलों के पीडी खातों में हस्तान्तरित किया गया, जिसे इस कार्यालय के आदेश के द्वारा आपके जिले के पीडी खाते में हस्तान्तरित किया जा चुका है।

राज्यांश की राशि रू. 1620 लाख के लिए सहमति प्रदान करते हुए वित (व्यय–5) विभाग ने आईडी संख्या 101900952 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा इस विभाग को निर्देशित किया है कि सीजीएफ की राशि के उपयोग के लिए "वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.04.2018 की पालना सुनिश्चित करें, विभाग द्वारा व्यय योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों/तत्संबंधी नियमों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, विभाग द्वारा पी.डी. खाते से राशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जावे तथा बैंक में विनियोजन हेतु राशि का आहरण नहीं किया जायेगा। विभाग **आगामी रिलीज से पूर्व योजनान्तर्गत अवशेष के संलग्न करते हुए पत्रावली पर पूर्ण विवरण तालिका के रूप में अंकित किया जाकर प्रस्ताव भिजवाये।**" अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी है, ताकि आगामी रिलीज के समय वित्त विभाग को प्रस्ताव उसी अनुसार प्रेषित किए जा सकें। क्लस्टरवार रिलीज राशि, व्यय राशि व अवशेष राशि का विवरण प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह के समाप्त होते ही इस कार्यालय को प्रेषित करवाने का श्रम करायें।

04/04/19
(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.)

लगातार ---2

«AddressBlock»